



66

निगरानी प्रकरण क्र. :

माननीय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर के समक्ष
PBR/निगरानी/इन्दौर/भू-स/2017/2570

जितेन्द्र पिता तीरथदास रामनानी
निवासी बाबाजी इलेक्ट्रीक, महारानी रोड,
इन्दौर

— प्रार्थी

विरुद्ध

को. नं. 1-8-17 को
प्राप्त
केलक ऑफ कोर्ट 1-8-17
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

D.P. Sharma
Adv
01-08-2017

- 1- अनिल अग्रवाल पिता श्री सुरेशचंद्र अग्रवाल
निवासी 20, रानीबाग, ग्राम लिम्बोदी, खण्डवा रोड
इन्दौर
- 2- हेमंतकुमार पिता श्री मांगीलाल काबरा
निवासी 60/1, लोधीपुरा, इन्दौर तर्फे आम मुखत्यार
- 3- प्रेमतवंर पिता श्री रतनलाल तंवर,
निवासी 464, एल.आई.जी. सेकण्ड,
स्कीम नं. 71, इन्दौर
- 4- संदीप पिता श्री रमेशचंद्र बाहेती,
निवासी 14, ओल्ड पलासिया, इन्दौर
- 5- म.प्र. शासन — प्रतिप्रार्थीगण

वाद बटांकन की तरमीम उठाने बाबद

निगरानी आवेदनपत्र धारा 50 म.प्र. भूराजस्व संहिता के तहत

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सांवेर जिला इन्दौर द्वारा अपील प्रकरण क्र. 42/15-16 में पारित आदेश दिनांक 25.05.17 से असंतुष्ट एवं दुखित होकर नकल प्राप्ति में लगा समय मुजरा देते यह निगरानी आवेदनपत्र निम्न तथा अनय आधारों पर योग्य मुद्रापत्रों पर सादर प्रस्तत है —

घटनाक्रम -

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि चिह्न

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/इंदौर/भू.रा./2017/2500

स्थान तथा दिनांक

कार्यवाही तथा आदेश

पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि
के हस्ताक्षर

23-1-2019

आवेदक की ओर से श्री रवि मेहरा, अभिभाषक उपस्थित । प्रकरण का अवलोकन किया गया । आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू-राजस्व संहिता (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) में दिनांक 25-9-2018 से लागू हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है । उभय पक्ष दिनांक 25-4-2019 को सुनवाई हेतु कलेक्टर के समक्ष उपस्थित हों । अनावेदकगण को सूचना दिया जाये ।


A32


अध्यक्ष